वरिष्ठता (SENIORITY)

प्र. 1 उ.	जो कर्मचारी सीधी भर्ती कोटे के तहत नियुक्त हुआ हो और जिसको प्रारम्भिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो, केडर में उसकी वरिष्ठता किस आधार पर तय की जायेगी। In the case of employee appointing through DR Quota who does not have to undergo initial training, the seniority in the post will be determined on the basis of _________ assigned by the recruiting authority. उसकी मेरिट अनुसार /Merit order प्राधिकार : Rule 303(b) of IREM Vol.-I
प्र. 2 उ.	ऐसे मामलों में जहां वर्किंग पोस्ट पर कार्यग्रहण करने पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है, वहां वरिष्ठता निर्धारण का आधार क्या होता है । How is the seniority assigned to a candidate where he has to undergo initial training before joining in any working post? प्रशिक्षण केन्द्र में प्राप्त मेरिट के आधार पर वरिष्ठता निधारित की जायेगी /Seniority will be assigned on the basis of merit obtained in the examination held at the Training centre. प्राधिकार :Rule 303(a) of IREM Vol.-I
प्र. 3 उ.	जहां दो अभ्यार्थियों ने समान अंक पाया हो, वहां वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है ? What is the basis of assigning seniority when two candidates are declared having equal merit? जो पहले पैदा हुआ है /Seniority will be determined on the basis of date of birth Older age (Eear in Born) candidates will be senior. प्राधिकार : Rule 304 of IREM Vol.-I
प्र. 4 उ.	जहां दो व्यक्तियों की किसी पद में कार्यग्रहण की तिथि समान हो तथा निचले पद में भी समान हो तो, कौन वरिष्ठ होगा । Who will be senior if two employees have similar dates of appointment and dates of entry in the grade next below is the same? जिसकी उम्र ज्यादा हो / The older employee of the two will be senior प्राधिकार :Rule 314 of IREM Vol- I
प्र. 5 उ.	पदोन्नत कर्मचारी व सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता किस आधार पर होगी ? What is the criteria for determining seniority of promotes and direct recruites? प्रत्येक ग्रुप में पारस्परिक वरिष्ठता सूची बनाने के बाद, उस पद में नियमित सेवा की तिथि के आधार पर। /From the date of appointment against regular post, subject to maintaining inter-se-senioirty in each group. प्राधिकार : Rule 314 of IREM Vol- I
प्र. 6 उ.	चयन पदों के लिए पदोन्नति पर वरीयता कैसे निर्धारित की जायेगी ? What is the basis of assigning seniority on promotion to selection posts? चुनिन्दा सूची योग्यता क्रम के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा।/ Seniority will be assigned on the basis of merit order in the select list. प्राधिकार : Rule 306 of IREM Vol- I
प्र. 7 उ.	अप्रवरण पदों पर पदोन्नति पर वरिष्ठता निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। What is the criteria for assigning seniority on promotion to non-selection posts? निचले पद में कर्मचारियों की पदोन्नति की तिथि के आधार पर/ Seniority is assigned to the employees on the basis of date of promotion in lower grade प्राधिकार : Rule 319 of IREM Vol- I

प्र. 8 उ.	क्या प्रशासनिक हित में किसी के स्थानान्तरण होने पर उसकी वरीयता पर असर पड़ेगी ? Will Seniority be affected if an employee is transferred in the interest of administration? नहीं / No प्राधिकार : Rule 311 of IREM Vol- I
प्र. 9 उ.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने पर नये यूनिट में उसकी वरीयता कैसे होगी। How is the seniority assigned to an employee transferred to another unit at their own request? नये यूनिट में संबंधित ग्रेड में रहने वाले सभी कर्मचारियों के नीचे उसकी वरीयता निर्धारित की जायेगी /Seniority is assigned below all existing railway employees in the relevant grade in the new unit. प्राधिकार : Rule 312 of IREM Vol.-I
प्र. 10 उ.	पारस्परिक स्थानान्तरण पर वरीयता कैसे होगी । Seniority assigned mutual transfer? कनिष्ठ कर्मचारी की वरीयता वही रहेगी परन्तु वरिष्ठ कर्मचारी अपनी वरीयता खो कर, कनिष्ठ कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि से वरीयता प्राप्त करेगा /Junior employee shall retain his seniority but senior employee shall lose his original seniority and get juniors seniority. प्राधिकार :Rule 310 of IREM Vol- I
प्र. 11 उ.	मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी जब प्रशासनिक आधार पर वैकल्पिक पद पर स्वीकार किया जाता है तब अपनी वरिष्ठता नहीं खोता। The medically decategorised employee absorbed in alternative post on administrative ground does not lose its seniority. State true or false. सत्य । True प्राधिकार : Rule 313(a)(i) of IREM Vol- I
. 12 उ.	उच्च ग्रेड पर कार्यरत मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी के वैकल्पिक पद पर स्वीकार किए जाने पर उसकी वरीयता कैसे निर्धारित होगी ? How is the seniority assigned to medically decategorised employee working in higher grade, on absorption in alternative post? उच्च वेतनमान में की गई सेवा की अवधि के अनुसार वरीयता निर्धारित होगी /Seniority assigned on the basis of the total length of service rendered in higher grade. प्राधिकार :Rule 313(a)(ii) of IREM Vol- I
प्र. 13 उ.	स्वयं के अनुरोध पर श्रेणी परिवर्तन के मामले में वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जायेगी । How is the seniority assigned to an employee who of his own accord has requested for change of category? वह नई श्रेणी में सभी कर्मचारियों के नीचे रखा जायेगा /Bottom seniority in the new category प्राधिकार : Rule 312 & 313(e) of IREM Vol- I
प्र. 14 उ.	क्या रेल कर्मचारी को अपनी वरिष्ठता सूची के अवलोकन करने की अनुमति है ? Is the railway employee permitted to peruse the seniority list? हॉ / Yes प्राधिकार : Rule 321(a) of IREM Vol- I

प्र. 15 उ.	क्या रेल कर्मचारी वरिष्ठता सूची में अपना नाम गलत जगह पर दर्शाये जाने पर उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन कर सकता है? Is the railway employee permitted to represent against wrong assignment of seniority in the seniority list? हॉ , वरिष्ठता सूची जारी होने के एक वर्ष के भीतर / Yes. Within one year of publishing of the seniority list. Authority: Rule 321(b) of IREM Vol I
प्र. 16 उ.	जब परिवीक्षाधीन अवधि के पश्चात बिना व्यवधान के सेवा में पुष्टि की जाती है तो नियुक्ति की तारीख ..... से मानी जायेगी। When confirmation follows a specified probationary period without break, the date of appointment to the grade is reckoned from __________ परिवीक्षाधीन (प्रोबेशन) अवधि शुरू होने की तिथि से / From the date of commencement of probationary period. Authority: Rule 307 of IREM Vol I
प्र. 17 उ.	जब रेल कर्मचारी चयन परीक्षा में अपने नियंत्रण से परे कारणों से उपस्थित न होकर, ड्यूटी में आने के बाद प्रथम अवसर पर चयन / ट्रेड टेस्ट पास कर लेता है तब दूसरे कर्मचारियों के साथ बिना अपनी वरिष्ठता खोये पदोन्नति पाने के लिए हकदार होता है – क्या यह सत्य है ? lway employee, who for reasons beyond his control, is unable to appear in the selection/Trade test, shall give examination/Trade test immediately on joining and then passes the same, he shall be entitled for promotion to the post along with others and his seniority is not lost. State whether true of false. सत्य / True Authority: Rule 316 of IREM VolI

=-=-=-=